न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/85/2019

अपीलार्थीः–

श्री दिलीप सिनसिनवार निवासी एस. एच.–6 शॉपिंग सेन्टर फलोरिसेन्ट स्कूल के पास सेक्टर 26 प्रताप नगर, जयपुर।

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः–14.10.2019

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के तहत प्रस्तुत प्रा0पत्र दिनांक 17.07.2019 के संबंध में आवेदन में वर्णित बिन्दुवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाऐं दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो **दिनांक 01.10.19** को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। अपीलार्थी द्वारा अपना लिखित जबाव जरिये डाक द्वारा भिजवाया गया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 2208 दिनांक 11.10.19 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि प्रा0 पत्र दिनांक 17.7.19 के बिन्दु संख्या 2 ला0 4 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 1307 दिनांक 07.08.19 के माध्यम से किए गए विनिश्चय के विरूद्व अपील पेश की है। उक्त के संबंध में उल्लेखित है कि भूमिधारी तहसीलदार होता है और जिस हेतु तहसीलदारों को पृथक से लोक सूचना अधिकारी बनाया हुआ है। जिस संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को भी पत्रांक 2208 दिनांक 11.10.19 के माध्यम से सूचित किया जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी के जबाव से जाहिर है कि प्रार्थी को नियत समय अवधि में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।
5. निर्णय आज **दिनांक 14.10.2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
6. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर,अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)